FORM NO. II

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत– राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर (राज0)

अपील संख्या 54 /2023 अन्तर्गत धारा 225 आर0 टी0 एक्ट

उनवान– रामप्रसाद बनाम दयाराम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	विशेष विवरण
20.09.2023	पत्रावली पेश हुई। अपील के साथ संलग्न अन्तरिम स्थगन प्रार्थना–पत्र पर अपीलांट अभिभाषक उपस्थित व केवियट कर्ता को सूचित किया गया बहस सुनी गयी। वकील अपीलांट द्वारा कथन किया गया कि प्रकरण में विवादित खसरा नम्बर 3186 वादी रेस्पो0 एवं खसरा नम्बर 3187 हम अपीलांटगण की खातेदारी है। तहत न्यायालय द्वारा दिनांक 19.06.2021 को किये गये सीमाज्ञान के आधार पर वादी प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार कर उसके द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की रूकावट पैदा नहीं करने हेतु हम अपीलांट अप्रार्थी/अपीलांट को पाबन्द किया गया जिसकी आड में वादी रेस्पोडेन्ट द्वारा हमारे खसरा नम्बर 1187 की भूमि में जबरदस्ती निर्माण कार्य किया जा रहा है। यदि निर्माण कार्य में सफल हो गये तो हमें हमारी भूमि कभी वापस प्राप्त नहीं होगी और भविष्य पूर्ति नहीं होने वाला नुकसान होना सुनिश्चित है। अतः तहत न्यायालय का प्रश्नगत आदेश दिनांक 07.07.2023 निरस्त किया जाये। वकील केवियट कर्ता श्री शीशराम गुर्जर द्वारा कथन किया गया तहत न्यायालय द्वारा सीमाज्ञान रिपोर्ट एवं तहसीलदार के मौका रिपोर्ट के आधार पर सही निर्णय किया है। अपीलांट के भूमि का सीमाज्ञान हो चुका है तथा मौका रिपोर्ट में निर्माण कार्य हमारी खातेदारी भूमि में ही किया जाना बताया गया है। अपीलांटगण द्वारा अनावश्यक रूप से हमकों परेशान करने की नियत से अपील पेश की है, जो खारिज योग्य है। अतः खारिज की जाये। हमने पक्षकारान की बहस पर मनन एवं अपील के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया। साथ	

ही तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी नादोती के निर्णय दिनांक 07.07.2023 का अवलोकन किया। तहत न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में तहसीलदार नादौती की मौका रिपोर्ट दिनांक 09.02.2023 के अनुसार खसरा नम्बर 2186 रकबा 0.05 ग्राम गुढाचन्द्र पटवार सर्कल ए में सायल द्वारा दिनांक 19.06.2021 को कराये गये सीमाज्ञान के आधार पर स्थापित चिन्हों के अन्दर ही बावण्डरीवाल, पशुशाला एवं भण्डार गृह का निर्माण कार्य करना बताते हुये निर्माण कार्य में बाधा नहीं डालने एवं उपयोग उपभोग में रूकावट या बाधा नहीं डालने हेतु पाबन्द किया है, जिसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझता। यह है कि अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र का निर्णय आदेश 39 नियम 3 ए के अनुसार 30 दिवस में किया जाना आवश्यक होता है अतः तहत न्यायालय को पत्रावली इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है, कि प्रकरण का 30 दिवस में निस्तारण नियमानुसार सुनिश्चित करे। पक्षकारान नियत दिनांक को तहत न्यायालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करे। पत्रावली निर्णीत शुमार हो व नम्बर से कम हो।

30
20/9/2023

उम्मेदीलाल [illegible]
(आर.ए.एस)
राजस्व अपील अधिकारी
सवाईमाधोपुर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

26.09.23 प्रार्थना पत्र अधि० रेस्पो० पर आज पेश हुई अधि० रेस्पो० स्वीकार किये जाने के उपरान्त आदेश दि० 20.9.23 के पैरा सं० 3 की पंक्ति 6 में अंकित ख०न० 2186 को 3186 पढ़ा जावे

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर.